

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(01)/2012-क0सं0 एवं भाषा/2406-2409

दिनांक: 4/6/15

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (घातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।


ध्यानाकर्षण : सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी/राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी।

विषय: प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06.12.2012 को जारी परिपत्र सं० 8(1)2012-क0सं0एवंभाषा/2720-2723 के संदर्भ में देखें (www.artandculture.delhigovt.nic.in)। इस परिपत्र के अनुसार राजभाषा भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लिखित निदेशों के अनुसार प्रत्येक विभाग को अपना वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाया जाना अनिवार्य है। कृपया अपने विभाग की वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में तैयार करने के लिये अविलम्ब कदम उठाएं तथा इस विषय में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी यथाशीघ्र इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय


(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

फा.सं. 08(01)/2012-क0सं0 एवं भाषा/ 2410-2413
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

दिनांक: 4/6/15


1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली सरकार, 5वां तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

1521
16/6



9/1 MUBA

OSD (LTH)


17-6-15

श्री अशोक जी